147

संख्या- /XXVIII-4-2017-67(5)/2014 T.C.

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2017

विषय – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत Infrastructure Maintenance के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की 10 प्रतिशत अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–5प/1/25/2016–17/3693 दिनांक 27.02.2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालनार्थ वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से Infrastructure Maintenance हेतु केन्द्रांश के रूप में उत्तराखण्ड राज्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 53,44,48,000/– (रूपया तिरेपन करोड़ चवालिस लाख अड़तालिस हजार मात्र) के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 5,93,83,000/– (रूपया पांच करोड़ तिरानवे लाख तिरासी हजार मात्र) को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैनुअल उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. उक्त अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाएगी। अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है अर्थात दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 **(संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार)** के संगत लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
6. उक्त धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में निहित प्राविधानानुसार अवमुक्त की जा रही है।

संलग्नक : यथोक्त, अलॉटमेंट आई0डी0 की प्रति सहित।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 233 (1)/XXVIII-4-2016-67(5)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त अनुभाग–1/नियोजन विभाग/ एन0आई0 सी0।
8. चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या- 233 /XXVIII-4-2017-67(5)/2014T.C दिनांक 09 मार्च, 2017 का संलग्नक।

लेखाशीर्षक/मानक मद		धनराशि (₹ में)
अनुदान संख्या–12		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत	
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य–चिकित्सा पद्यति	
110	अस्पताल तथा औषधालय	
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	
0104	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0सहित) के अन्तर्गत	
20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5,93,83,000

(रूपया पांच करोड़ तिरानवे लाख तिरासी हजार मात्र)

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव